

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

धर्म

५-१२-२०२१ विपक्षी चेनराज

रसम मुकदमा

४८ पत्रावली संख्या सन्

123/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>०२/११/२१ पत्रावली पेश की गई। 'प्रशासन गांवों के विकास समिति-2021' आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-सुगावा दिनांक ०४/१५.२१..को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p> <p>०४/१५/२१ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रसमो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक २१/०५/२२.....को पेश हो।</p> <p>२०/५/२२ पत्रावली वादी/प्रतिवादी उप. / <u>लवाव</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>३/०५/२२</u> भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>५/०५/२२</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">SDO मावली</p> <p>५/०५/२२ पत्रावली पेश हुई। वादी तथा अधिवक्ता को आवक दिनांक ०५/०५/२२ अनुपस्थित है। अतः अनुपस्थित रहने पर वादी को नुकसान हो सकता है। अतः पत्रावली में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैम्प सुगावा स्थल नम्बर से शुरू हो निर्णय पुनः किया।</p>	



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

